भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3053
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

अंधविश्वास विरोधी कानून

3053. डॉ. डी. रवि कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथाकथित स्वयंभू लोगों (गॉडमेन) द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को लक्षित करने के लिए मौजूदा दंड विधि कानूनों में समर्पित उपबंधों की कमी के मद्देनजर विशेष रूप से अंधविश्वास और कपटपूर्ण गतिविधियों के विरुद्ध कोई विधेयक पुरस्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार की वर्तमान अधिनियम की अनेक खामियों के मद्देनजर अंधविश्वासी प्रथाओं से निपटने और कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने अथवा एक नया व्यापक कानून लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंधविश्वास विरोधी कानूनों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए इन क़ानूनों के तर्ज पर एक राष्ट्रव्यापी अंधविश्वास विरोधी कानून बनाने पर विचार कर रही है, ताकि अंधविश्वास और संबंधित कपटपूर्ण गतिविधियों को देश में प्रभावी ढंग से रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। एजेंसियां अंधविश्वास से निपटने हैं/उठाए जाने का विचार है कि विधि प्रवर्तन और नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए आवश्यक शक्तियों से लैस हो ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : ऐसे किसी विधान का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

****